सलग्नक -10

गुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
1. तिलक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: डीजी-सात-एच-3(43)2013 दिनांक: मई 22 ,2013

सेवामें,

समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक प्रभारी, उत्तर प्रदेश।

विषय: क्रिमिनल पी0आई0एल0संख्या:9187/2013, महिलाओं से सम्बन्धित अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने तथा अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री अखिलेश सिंह, शासकीय अधिवक्ता, मा0उच्च न्यायायल, इलाहाबाद के फैक्स संदेश दिनांक:18.05.2013 एवं इसके साथ संलग्नक मा.उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक:10.05.2013 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त प्रकरण में मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचारण के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया है कि एक अस्पताल में जली हुई हालत में महिला काफी दिनों तक पड़ी रही। सम्बन्धित थाने द्वारा उसके सम्बन्ध में कोई प्रारम्भिक जाँच/विवेचना नही की गयी और न ही पीड़िता के मृत्यु पूर्व बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराये गये। पीड़िता के मरने के कुछ दिन पश्चात मुकदमा मंजीकृत कराया गया। उक्त प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा असन्तोष व्यक्त करते हुए पारित निर्णय के अनुपालन में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जा रहे है:-

- जब किसी व्यक्ति, विशेषकर महिला, के जलने अथवा गम्भीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती होने की सूचना सम्बन्धित थाने को प्राप्त होती है, तो थाना प्रभारी स्वयं या किसी उप निरीक्षक को तत्काल अस्पताल भेजकर प्रकरण की जाँच करेंगे।
- यदि जाँच में प्रथम दृष्टया अपराध घटित होने का संदेह न हो, तो थाना प्रभारी/उप निरीक्षक अपना नाम, मोबाइल नम्बर, सम्बन्धित डाक्टर और पीड़ित/पीड़िता के परिवारजनों को देंगे और उन्हें अवगत करायेंगे कि यदि बाद में किसी अपराध का संदेह हो, तो वह उन्हें अवगत करायें। महिला के प्रकरण में उसके मैके के परिवारजनों को इसकी सूचना अवश्य देंगे और उन्हें भी तदानुसार सलाह देंगे। उपरोक्त कार्यवाही का उल्लेख वापसी पर रोजनामचा आम में अवश्य करेंगे।
- यदि घायल जले व्यक्ति/पीड़िता की हालत बहुत गम्भीर हो, तो तत्काल मजिस्ट्रेट को बुलाकर उनसे पीड़ित/पीड़िता का मृत्यु पूर्व बयान अंकित कराया जायें। यदि समय का अभाव हो और मजिस्ट्रेट उपलब्ध नही हो पा रहे हो, तो यह बयान डाक्टर से अंकित

किये जाये। उपरोक्त दोनों अवस्थाओं में डाक्टर से यह प्रमाण ले लिया जाए कि पीड़ित/पीड़िता बयान देने के लिए मानसिक रूप से अनुकूल स्थिति में है। ऐसी अवस्था में जहाँ डाक्टर की मौजूदगी भी नही हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के नियम-115 के तहत पुलिस अधिकारी यह मृत्यु पूर्व बयान दो सम्भ्रान्त व्यक्तियों के समक्ष स्वयं भी अंकित कर सकते है।

- यदि जाँच में प्रथम दृष्टया अपराध होने का संदेह हो, तो सम्बन्धित थाना, जहाँ पर घटना होना ज्ञात हुआ है, को अविलम्ब सूचना आर0टी0 सेट/फोन से भेजी जायेगी।
- सम्बन्धित थाने द्वारा अविलम्ब घटनास्थल को सुरक्षित किया जायेगा, ताकि भौतिक साक्ष्य संकलन किया जा सकें। उस थाने के थाना प्रभारी/उप निरीक्षक अस्पताल के लिए रवाना होंगे, ताकि अभियोग पंजीकृत कराने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकें।
- थाना प्रभारी अथवा उप निरीक्षक द्वारा थाना वापस आने पर की गयी कार्यवाही का विवरण रोजनामचा आम में अंकित किया जायेगा।
- विवेचना के दौरान विवेचक यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि मजिस्ट्रेट व डाक्टर द्वारा लिये गये मृत्यु पूर्व बयान व प्रमाण पत्र केस डायरी में संलग्न हों व उनके स्वयं के बयान केस डायरी में धारा 161 द.प्र.सं. के अन्तर्गत अवश्य अंकित किये जाये।

अतः उपरोक्त का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक:यथोपरि।

2-5-13

(देवराज नागर)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु प्रेषित है।

2. समस्त ज़ोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0 को कृपया उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।

सलग्नक-6

एस०सी० शर्मा
आई०पी०एस०

फैक्स
डी०जी० पत्र संख्या-डीजी-सात-एस-2(निर्देश)/2013

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1, तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊ अप्रैल 12, 2013

प्रिय महोदय,

देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसम्बर 2012 को हुई सामूहिक बलात्कार की वीभत्स घटना में पीड़िता को पहुँचायी गयी शारीरिक क्षति व उसकी मौत ने सम्पूर्ण देश को झकझोर कर रख दिया। दिन-प्रतिदिन महिलाओं के साथ बढ़ती हुई यौन हिंसा की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 लागू किया गया है। यह अधिनियम 03 फरवरी 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। यह अधिनियम mha.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवश्यक है कि इस अधिनियम को वेबसाइट से Download कर इसका गहन अध्ययन कर लिया जाये, क्योकि इस संशोधन के उपरान्त महिला सम्बन्धी अपराध में जो परिवर्तन आये है, उसका क्रियान्वयन तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ होना है।

इस संशोधन में मुख्य उल्लेखनीय बातें निम्नलिखित हैं:-

- महिला पर Acid Attack व उसका प्रयास, पीछा करना (Stalking), दृश्यरतिकता (Voyeurism), लैंगिक उत्पीड़न (Sexual Harassment), निःवस्त्र करने के लिए बल प्रयोग करना (Assault to disrobe), बलात्कार/सामूहिक बलात्संग (Rape/Gang rape), उसके कारण मृत्यु या विकृतशील अवस्था (Vegetative State) होना, दुर्व्यापार (Human Trafficking) को परिभाषित कर दिया गया है।
- महिला सम्बन्धी अपराध का पंजीकरण न करने पर पुलिस अधिकारी के विरुद्ध संज्ञेय अपराध पंजीकृत किया जायेगा, जिसकी विवेचना के उपरान्त अभियोजन स्वीकृति आवश्यक नही होगी।
- एसिड अटैक या उसका प्रयास होने पर आत्म सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया है।
- महिला सम्बन्धी विभिन्न अपराधों का पंजीकरण महिला पुलिस अधिकारी अथवा अन्य महिला अधिकारी के द्वारा ही किया जायेगा। इस प्रकार 161 द०प्र०सं० में पीड़ित महिला का बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी अथवा किसी अन्य महिला अधिकारी द्वारा दर्ज किया जायेगा।
- एसिड अटैक व बलात्कार के प्रकरणों में सभी सरकारी व निजी अस्पताल द्वारा पीड़िता का निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार करने का प्राविधान किया गया है।

यद्यपि दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम-2013 mha.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, फिर भी आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए भादवि, भा0प्र0प्र0सं0 एवं भा0साक्ष्य अधि0 में हुए मुख्य संशोधन निम्नलिखित दर्शाये जा रहे है:-

- एसिड अटैक के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्ति को धारा 100 भादवि के अन्तर्गत अपने बचाव में आत्म सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया है।

- यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के शरीर पर एसिड फेंक कर गम्भीर चोट पहुँचाता है तो उसे कम से कम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ अर्थदण्ड देने का प्रावधान है, जो कि पीड़िता को दिया जायेगा। (धारा-100 उपधारा 7)

- यदि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के ऊपर एसिड डालने का प्रयास करता है तो उसे 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की सजा व अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है। (धारा-326 क)

- धारा 354 को और व्यापक कर दिया गया है जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार है- (धारा-326 ख)

  - किसी स्त्री से अवांछनीय शारीरिक सम्पर्क बनाने का प्रस्ताव देना, या अनुरोध करना, उसकी इच्छा के विरूद्ध कामोत्तेजक फोटो या फिल्म दिखाना या लैंगिक आभासी (Sexually coloured) टिप्पणी करना अब अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

  - किसी स्त्री को सार्वजनिक स्थल पर निर्वस्त्र करना या निर्वस्त्र करने के आशय से हमला करना भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। (धारा-354 क)

  - किसी स्त्री के द्वारा शौच, लघुशंका, स्नान करते समय उसको एकटक देखना एवं उसकी फोटो खींचना भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। (धारा-354 ख)

  - जहां पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्र खींचने के लिए सम्मति देती है किन्तु अन्य व्यक्तियों को उन्हे प्रसारित करने की अनुमति नही देती है तो उस चित्र या कृत्य का प्रसारण किया जाता है तो उसे भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

  - किसी स्त्री की इच्छा के विरूद्ध उससे सम्पर्क बनाने के लिए उसका पीछा करना, स्त्री द्वारा प्रयोग करने वाले इन्टरनेट, ई-मेल या अन्य इलेक्ट्रानिक सूचना की मानीटरिंग करना भी अपराध की श्रेणी में आ गया है। (धारा-354 ग)

- इसी प्रकार किसी स्त्री को ऐसे एकटक देखना या उसकी जासूसी करना जिससे उसके मन में गम्भीर संत्रास या भय व्याप्त हो जाता है और वह स्त्री मानसिक रूप से अशान्त व परेशान हो जाय, यह भी अपराध की श्रेणी में आ गया है। इसके लिए 5 वर्ष की सजा एवं अर्थदण्ड का प्रावधान है।

- किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार (Human Trafficking) के सम्बन्ध में अपराध को और अधिक व्यापक करके उसमें और अधिक दण्ड का प्रादधन किया गया है। (धारा-354 घ)

- किशोर के दुर्व्यापार करने वाले तथा दुर्व्यापार करने के लिए किसी स्थान पर रखने के लिए दण्ड और अधिक बढ़ा दिया गया है। (धारा-370 उपधारा '1 से लेकर 7' तक)

- नये संसोधन के द्वारा धारा 375 भादवि के अन्तर्गत बलात्कार को परिभाषित करते हुए और अधिक व्यापक कर दिया गया है। स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या मुँह में लिंग के अलावा शरीर का कोई अंग या कोई वस्तु का प्रवेश भी बलात्कार की श्रेणी में आ गया है। इस प्रकार स्त्री की योनि, मुँह, मूत्रमार्ग, गुदा पर मुख लगाना भी अपराध की श्रेणी में आ गया है। (धारा-370 क)

- बलात्कार करने के लिए न्यूनतम सजा 7 वर्ष कर दी गई है जो आजीवन कारावास तक का हो सकती है। (धारा-375 क से 375 घ तक)

- लोक सेवक द्वारा अपने हिरासत में किसी स्त्री के साथ बलात्कार करने पर एवं साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान स्त्रियों से बलात्कार करने वाले तथा 16 वर्ष से कम उम्र की स्त्री से बलात्कार करने वाले तथा बलात्कार के समय औरत को गम्भीर चोट पहुँचाने, उसको कुरूप कर देने पर या उसके जीवन को संकटग्रस्त कर देने की दशा में अब दण्ड का प्रावधान न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण जीवन जेल में ही व्यतीत करने का प्राविधान कर किया गया है। (धारा-376-1)

- बलात्कार के समय किसी स्त्री के गम्भीर चोट के कारण मरने पर या लगातार मानसिक दशा खराब रहने पर दण्ड को बढ़ाकर 20 वर्ष से अधिक आजीवन कारावास, जिसके अर्न्तगत सम्पूर्ण जीवन जेल में व्यतीत करने का प्राविधान कर किया गया है। (धारा-376-2)

- यदि लोक सेवक अपनी हिरासत में किसी स्त्री के साथ सम्भोग करता है परन्तु वह बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है, इसके लिए भी दण्ड का प्राविधान किया गया है। (धारा-376-क)

(धारा-376-ग)

- गैंग रेप के मामलें में सजा को बढ़ा दिया गया है और सभी व्यक्तियों को 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का प्राविधान किया गया है तथा अर्थ दण्ड का प्राविधान है, जो कि पीड़िता को दिया जायेगा।

- नये संशोधन के अर्न्तगत यदि कोई पुलिस अधिकारी धारा 354 एवं धारा 376 भादवि व उनके अर्न्तगत उपधारा की सूचना मिलने पर एफ0आई0आर0 करने में हीला-हवाली करता है तो उसके विरूद्ध धारा 166-क के अर्न्तगत दण्डित करने का प्राविधान किया गया है। (धारा-376-घ)

- एसिड अटैक के प्रकरण में सरकारी या निजी अस्पताल द्वारा पीड़िता का उपचार न करने पर संबंधित चिकित्सक के विरूद्ध भी अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है। (धारा-166 भादवि की उपधारा-166 ए)

(धारा-166 भादवि की उपधारा-166-बी)

दण्ड प्रकिया संहिता 1973 में महत्वपूर्ण संशोधन:-

- यदि किसी महिला के साथ एसिड अटैक, छेड़खानी, बलात्कार और 509 के अपराध की सूचना दी जाती है तो उसके बयान को F.I.R. में अभिलिखित महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा उसकी वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी। (धारा-154 द0प्र0सं0)

- इसी प्रकार छेड़खानी एवं बलात्कार के प्रकरणों में विवेचना के दौरान उसका बयान महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(धारा-161 द0प्र0सं0)

यह स्पष्ट करना है कि यह कथापि नहीं निर्देशित किया गया है कि बलात्कार व छेड़खानी के प्रकरण की विवेचना महिला पुलिस अधिकारी करेंगी। केवल अपराध पंजीकरण व पीड़िता का 161 द0प्र0सं0 का बयान महिला पुलिस अधिकारी या उसके उपलब्ध न होने पर किसी महिला अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

- एसिड अटैक और बलात्कार के मामले में पीड़िता को आरोपित अभियुक्त के अर्थदण्ड के अलावा राज्य सरकार अलग से प्रतिकर देगी।
- एसिड अटैक और बलात्कार के मामले में सरकारी एवं प्राइवेट अस्पताल पीड़िता को निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार करेंगें तथा घटना की सूचना पुलिस को देंगे।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम-1972:-

- स्त्री के साथ छेड़खानी, बलात्कार के प्रकरणों में उसका पूर्व का चरित्र एवं शारीरिक सम्बन्ध साक्ष्य के अन्तर्गत मान्य नही होगा।

(धारा-25 उपधारा 53 क)

* यदि किसी स्त्री के साथ मैथुन होने के प्रकरण में उक्त मैथुन उसकी सम्मति या बिना सम्मति से होना विवादित होने की दशा में यदि स्त्री कहती है कि मैथुन बिना उसकी सम्मति से हुआ है तो न्यायालय उसे बलात्कार की श्रेणी में मानेगा।

(धारा-25 उपधारा 144 क)

आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम-2013 का भली-भांति अध्ययन कर लें। जनपद स्तर पर कार्यशाला आयोजित करके निरीक्षक/उप0नि0 एवं थाने के हे0मु0 व का0मु0 को एस0पी0ओ0 के माध्यम से उक्त संशोधित अधिनियम के प्राविधानों को अवगत करायें। पुलिस को महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में अत्यधिक संवेदनशील होकर कार्य करने एवं संशोधित अधिनियम की धाराओं का एफ0आई0आर में उल्लेख करना सुनिश्चित करायें।

उल्लेखनीय है कि इस मुख्यालय के पत्र संख्याःडीजी-सात-एस-3-(23)/2012 दिनांकित 13.1.2013 द्वारा Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। फिर भी देखा जा रहा है कि बच्चों की यौन हिंसा संबंधी अपराध में Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 में मुकदमा पंजीकृत नहीं हो रहे है। कृपया उक्त कार्यशाला में अधिनियम के बारे में जानकारी दे दें। बच्चों के प्रति हुए यौन अपराध के प्रकरणों की समीक्षा करके उक्त अधिनियम के धाराओं की बढ़ोत्तरी करवाएं और भविष्य में ऐसे अभियोगों को उचित धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत करायें।

मै अपेक्षा करता हूँ कि आप इन दोनों अधिनियम का भली-भांति अध्ययन करके, कार्यशाला के माध्यम से उसके बारे में समस्त अधीनस्थों को जानकारी देकर, व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करेंगे कि महिला व बच्चों से सम्बन्धित अपराध में उचित धाराओं का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा न करने पर जनपदीय पुलिस प्रभारी इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(ए0सी0 शर्मा) 12/4

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

12/4/13

दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक 2013, का अध्यादेश के द्वारा भारतीय दण्ड विधान, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराओं में मुख्य परिवर्तन:-

धारा	अपराध का संक्षिप्त विवरण	सजा	संज्ञेय/ असंज्ञेय	जमानत
1	2	3	4	5
"166क	लोक सेवक, जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है	कम से कम छह मास के लिए कारावास जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	जमानतीय
166 ख	अस्पताल द्वारा पीड़ित का उपचार न किया जाना	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों	असंज्ञेय	जमानतीय
"326क	अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	कम से कम दस वर्ष के लिए कारावास किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना, जिसका संदाय पीड़िता को किया जाएगा	संज्ञेय	अजमानतीय
326ख	स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना	पंच वर्ष के लिए कारावास किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
"354	स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	एक वर्ष के लिए कारावास, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
354 क	अवांछनीय शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं अथवा लैंगिक संबंधों की स्वीकृति बनाने की मांग या अनुरोध	कारावास, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	जमानतीय
	लैंगिक आभासी टिप्पणियां या अश्लील साहित्य दिखाना	कारावास, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों	संज्ञेय	अजमानतीय
354 ख	विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	कम से कम पांच वर्ष का कारावास, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
354 ग	दृश्यरतिकता	प्रथम दोषसिद्धि के लिए कम से कम एक वर्ष का कारावास, किंतु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय

		द्वितीय और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए कम से कम तीन वर्ष का कारावास किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
354घ	पीछा करना	कम से कम एक वर्ष का कारावास, किंतु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
"370	व्यक्ति का दुर्व्यापार	कम से कम सात वर्ष का कारावास, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
	एक से अधिक व्यक्ति का दुर्व्यापार	कम से कम दस वर्ष का कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
	किसी अव्यस्क का दुर्व्यापार	कम से कम दस वर्ष का कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
	एक से अधिक अव्यस्कों का दुर्व्यापार	कम से कम चौदह वर्ष का कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
	लोक सेवक या किसी पुलिस अधिकारी का अवयस्क के दुर्व्यापार में अंतर्वलिप्त होना	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
	व्यक्ति को एक से अधिक अवसरों पर अवयस्क के दुर्व्यापार के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाना	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
370क	ऐसे किसी बच्चे का शोषण, जिसका दुर्व्यापार किया गया है	कम से कम पांच वर्ष का कारावास किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
	ऐसे किसी वयस्क का शोषण, जिसका दुर्व्यापार किया गया है	कम से कम तीन वर्ष का कारावास किंतु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
"धारा	बलात्संग	कम से कम सात वर्ष के लिए कठोर	संज्ञेय	अजमानतीय

376		कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना		
	किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी लोक सेवक या सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा या किसी जेल,प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंध तंत्र या कर्मचारिवृंद में के किसी व्यक्ति द्वारा या किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में के किसी व्यक्ति द्वारा बलात्संग और उस व्यक्ति के प्रति जिससे बलात्संग किया गया है न्यास या प्राधिकारी की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति के जिससे, बलात्संग किया गया है, किसी निकट नातेदार द्वारा किया गया बलात्संग	कम से कम दस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय	अजमानतीय
376क	बलात्संग का अपराध करने और ऐसी क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या उसकी लगातार विकृतशील दशा हो जाती है	कम से कम बीस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदंड	संज्ञेय	अजमानतीय
376 ख	पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन	कम से कम दो वर्ष का कारावास, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना	संज्ञेय (किंतु)के वल पीड़िता द्वारा परिवाद करने पर)	जमानतीय
376ग	प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन	कम से कम पांच वर्ष का कठोर कारावास किंतु जो दस वर्ष तक का	संज्ञेय	अजमानतीय

376-ध	सामूहिक बलात्संग	हो सकेगा और जुर्माना कम से कम बीस वर्ष का कठोर कारावास किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना जिसका संदाय पीड़िता को किया जायेगा	संज्ञेय	अजमानतीय
376ङ	पुरावृत्तिकर्ता अपराधी	आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्यु दंड	संज्ञेय	अजमानतीय